बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–3/निदे0 छात्रावास(विविध)–24–10/2021– 1393

प्रेषक,

दिवेश सेहरा,

सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी,

सभी छात्रावास समन्वयक–सह–प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक– 07/04/2022

विषयः–विभागीय संचालित छात्रावासों में छात्रावास समन्वयक के दायित्व निर्धारण एवं कार्य निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अनुशासन बनाए रखने, परिसंपत्तियों के उचित रख–रखाव, छात्रावास परिसर एवं शौचालय/स्नानागार आदि की स्वच्छता, बिजली की उपलब्धता तथा स्वच्छ पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था हेतु विभागीय पत्रांक–2839 दिनांक–20.11.2021 से प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त छात्रावास समन्वयक के रूप में छात्रावासों से संलग्न करने का निदेश निर्गत है। उक्त निदेश के आलोक में सभी जिलों द्वारा प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को छात्रावासों से संलग्न किया गया है।

2. छात्रावास समन्वयक–सह–प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी द्वारा कार्य निष्पादन किये जाने हेतु छात्रावास भवन के एक कमरा को छात्रावास समन्वयक के कार्यालय के रूप में विकसित करने तथा आवश्यक उपस्कर एवं संसाधन उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को दिया गया है।

3. छात्रावास समन्वयक–सह–प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी का दायित्व निम्नवत है–

I. विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 द्वारा निर्गत छात्रावास संचालन अनुदेश के अनुरूप छात्रावासों में नामांकन एवं कमरों के आवंटन की प्रक्रिया का अनुश्रवण करना। नियमानुसार कमरा खाली कराने के कार्य का प्रबंधन करना।

II. आवंटन के अनुरूप कमरे में छात्र/छात्राओं का आवासन सुनिश्चित कराना

III. आवंटित छात्र/छात्राओं के स्थान पर अन्य छात्र/छात्राओं का आवासीत होने या अवैध आवासन आदि की स्थिति में जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचित करना तथा विधि सम्मत कार्रवाई कराना।

IV. छात्रावास में अतिथियों का आवासन/अल्प ठहराव पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखना।

V. छात्रावास परिसर में बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थ का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करना। किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उक्त कृत्य करते पाये जाने पर जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करना।

VI. छात्रावास परिसर में किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा रैंगिंग/उपद्रव/शांति भंग/सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार आदि जैसे निंदनीय कार्य किए जाने की स्थिति में दण्डनीय कार्रवाई करना।

VII. छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिचर्चा/सभा आयोजित नहीं करना।

VIII. छात्रावास की परिसंपत्तियों तथा उपलब्ध संसाधनों, उपस्कर आदि का समुचित ढंग से रख–रखाव करना। विभागीय पत्रांक–2892 दिनांक–10.09.2021 से छात्रावासों में अनुरक्षण मरम्मति एवं रख–रखाव के संबंध में सामान्य अनुदेश निर्गत हैं उक्त अनुदेश के अनुसार जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधी कार्य कराना।

IX. जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से भवन के प्रत्येक तल पर, मुख्य द्वार तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर सी0सी0टी0भी0 अधिष्ठापित कराना तथा रिकार्डिंग का अनुश्रवण करना।

X. छात्रावासों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करना। भवन के प्रत्येक तल पर तथा कॉमन रूम, मेस आदि स्थानों पर वाटर प्यूरिफायर अधिष्ठापित कराना तथा समुचित ढंग से रख–रखाव करना। वाटर प्यूरिफायर के पास सर्विसिंग से संबंधित एक डिस्पले चार्ट प्रदर्शित करना। पानी टंकी का समय–समय पर सफाई कराना।

XI. छात्रावास परिसर में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर तकनीकी कर्मियों से समन्वय कर ठीक कराना। इस हेतु बिजली विभाग के स्थानीय कर्मियों यथा बिजली मिस्त्री, कनीय अभियंता, सहायक विघुत अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता के सम्पर्क नम्बर को संधारित करना।

XII. शौचालय, स्नानागार एवं छात्रावास परिसर का निरन्तर सफाई कार्य कराना। इस हेतु सफाई कर्मियों का शिफट वाईज ड्यूटी निर्धारित करना। सफाई संबंधी तालिका संधारित करना तथा सफाई कर्मियों द्वारा किए गए सफाई कार्य का प्रतिदिन सत्यापित करना।

XIII. सुरक्षाकर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्य का अनुश्रवण करना।

XIV. प्राथमिक उपचार बॉक्स संधारित करना। स्थानीय चिकित्सा पदाधिकरियों से संपर्क कर आवश्यक दवाओं का व्यवस्था करना।

XV. शिकायत/सुझाव पेटिका संधारित करना। प्राप्त शिकायतों एवं सुझाव का पंजी में संधारित कर जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी को अवगत कराते हुए निष्पादित कराना।

XVI. आवासीत छात्र/छात्राओं के माध्यम से छात्रावास में अनुशासन समिति अनुरक्षण एवं रख–रखाव समिति, स्वच्छता समिति, खेल–कूद समिति, पुस्तकालय समिति आदि का गठन कराना तथा उक्त समिति के साथ निरंतर बैठक कराना।

XVII. छात्रावास में आवासीत होकर छात्रावास संचालन संबंधी सभी कार्यों का अनुश्रवण करना।

XVIII. विभागीय पत्रांक–1141 दिनांक–10.05.2018 द्वारा मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना तथा विभागीय पत्रांक–1143 दिनांक–10.05.2018 द्वारा विभागीय छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना के संबंध में संकल्प निर्गत है। उक्त संकल्प तथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में उक्त योजना का अनुश्रवण करना। जिला स्थित एस0एफ0सी0 से समन्वय कर ससमय खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरण कराना।

XIX. विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप विहित प्रपत्र तथा पंजियों (नामांकन पंजी, उपस्थिति पंजी, भंडार पंजी, आदेश पुस्तिका, आगंतुक पंजी, स्वास्थ्य पंजी आदि) का संधारण करना।

XX. प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारियों को छात्रावास समन्वयक–सह–अधिक्षक के रूप में संलग्न किये जाने की स्थिति में विभागीय छात्रावास संचालन अनुदेश में छात्रावास अधीक्षक के लिए निर्धारित सम्पूर्ण दायित्व का निर्वहन करना।

XXI. छात्रावास समन्वयक छात्रावासों के संबंध में अपना विसंगति प्रतिवेदन (Anomalies report)ज्ञापांक सहित प्रतिदिन संबंधित जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई किये जाने की स्थिति में विद्यालय छात्रावास प्रबंधक/छात्रावास समन्वयक विभागीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग को सूचित करेंगे। अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही विद्यालय छात्रावास प्रबंधक/छात्रावास समन्वयक की होगी।

4. छात्रावास समन्वयक–सह–प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी छात्रावास में आवासित रहकर छात्रावास संबंधी कार्य का निष्पादन एवं अनुश्रवण करेंगे।

यदि छात्रावास समन्वयक परिवार सहित छात्रावास परिसर से अन्यत्र आवासित हो तो उनके द्वारा प्रतिदिन छात्रावास में उपस्थित रहकर कार्य का निष्पादन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। परंतु छात्रावास परिसर से अन्यत्र आवासित होने की स्थिति में संबंधित छात्रावास समन्वयक द्वारा अपना पूर्ण आवासीय पता जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया

जाएगा तथा जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी द्वारा उक्त पते का सत्यापन किया जाएगा।

5. छात्रावास से संलग्न छात्रावास समन्वयक–सह–प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी विकास मित्रों के कार्यों के अनुश्रवण करने, साप्ताहिक बैठक तथा अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु सप्ताह में एक दिन प्रखंड कार्यालय जायेंगे। शेष सभी दिन छात्रावास में उपस्थित रहकर छात्रावास संबंधी दायित्व का निर्वहन करेंगे। परंतु अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के लिए प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को किसी भी दिन संबंधित प्रखंड जाने हेतु जिला अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया जा सकेगा।

अतएव निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए साप्ताहिक अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

06/5/22

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे0 छात्रावास(विविध)–24–10/2021– 1393 पटना, दिनांक– 07/5/2022

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

06/5/22

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे0 छात्रावास(विविध)–24–10/2021–1393 पटना, दिनांक– 07/05/2022

प्रतिलिपि–सभी उप निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/5/22

सरकार के सचिव